प्रारूप – ख

(देखिए नियम 9 (ए))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज़)

क्रमांक :– एफ 2 (9) राज./सम्परिवर्तन/14/893-99 दिनांक :–27 –2 –2015

सम्परिवर्तन आदेश

सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान, उदाजी का गढ़ा तहसील घाटोल के कोषाध्यक्ष श्रीमती उषा पुरोहित पत्नि महेन्द्र कुमार पुरोहित निवासी उदाजी का गढ़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 (सी) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए एतदद्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्ठियां नीचे दी गई है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	:–	सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान, उदाजी का गढ़ा तहसील घाटोल के कोषाध्यक्ष श्रीमती उषा पुरोहित पत्नि महेन्द्र कुमार पुरोहित निवासी उदाजी का गढ़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:–	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:–	:–	
	(क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	:–	ग्राम उदाजी का गढ़ा, ग्रा. पं. खमेरा, तहसील घाटोल।
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हे0 में)	:–	आराजी नंबर 1987/417 रकबा 0.21 हे0, आराजी नंबर 416 रकबा 0.15 हे0, आराजी नंबर 1986/416 रकबा 0.16 हे0 एवं आराजी नंबर 1988/1986/416 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.67 हे0 अर्थात् 6700 वर्गमीटर
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित कराते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हे. में या व. मी. में)	:–	उपरोक्तानुसार

टिप्पणी :– अकृषि प्रयोग के लिए सम्परिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग का सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

4.	सम्परिवर्तन का प्रयोजन	:–	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संबंधी कार्य)
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:–	6700 वर्गमीटर का @ 25.93 रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से डीएलसी दर से अधिक होने से रूपया 1,73,731/– देय होगा।
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी	:–	चालान संख्या 350 दिनांक 22–1–2015 द्वारा मद 0029 में रूपया 694924/– (173731+521193) जमा हो चुका है।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की	:–	चालान संख्या 350 दिनांक 22–1–2015 द्वारा मद 0029 में रूपया 521193/– शास्ति
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	:–	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया	:–	नही
10.	अन्य विशिष्ठियां यदि कोई हो	:–	(1) नियमानुसार लगान की कमी की जावे। (2) ग्राम घाटोल की डीएलसी दर 4,20,000/– बीघा है।

11. **उपर्युक्त सम्परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–**

(क) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(ग) नियम–4 में तथा यथा– वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा।

(घ) लोकपयोगी प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा।

(ड) नियमानुसार इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मुख्य सड़क के मध्य से 180 फीट दूरी छोड़कर निर्माण किया जावेगा।

(प्रकाश राजपुरोहित)
विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

प्रतिलिपि :–

1. उपखण्ड अधिकारी, घाटोल।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कार्यालय हाजा।
3. तहसीलदार, घाटोल को पालनार्थ।
4. तहसील राजस्व लेखाकार, घाटोल।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत खमेरा ।
6. पटवारी, पटवार हल्का खमेरा।
7. सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान, उदाजी का गढ़ा तहसील घाटोल के कोषाध्यक्ष श्रीमती उषा पुरोहित पत्नि महेन्द्र कुमार पुरोहित निवासी उदाजी का गढ़ा तहसील घाटोल